भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3317
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल एवं सामर्थ्य घटक

3317. **श्री मलैयारासन डी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में मिशन शक्ति के संबल और सामर्थ्य घटकों के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं/सेवाओं सहित कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में उक्त मिशन के कार्यान्वयन के लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) कल्कुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-बार, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन सेवाओं और उक्त मिशन के अंतर्गत अन्य महिला अधिकारिता पहलों के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने राज्य के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषकर, प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता, अवसंरचना की कमियों और महिलाओं के बीच जागरूकता सहित उक्त मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का आकलन किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो उक्त राज्य में इस मिशन के माध्यम से महिलाओं के लिए सुरक्षा, पुनर्वास, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिन्हें तीन मुख्य वर्टिकल

के अंतर्गत रखा गया है अर्थात: (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0; और (3) कठिन परिस्थितियों में रह रहें बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य।

'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को मजबूत करना है। मिशन शक्ति के दो वर्टिकलस हैं: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 'सामर्थ्य'।

'संबल' में वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

1) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी): देश भर में निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और त्वरित सहायता प्रदान करता है। यह देश भर की ज़रूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में, देश भर में 991 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील किए जा चुके हैं तथा इसकी शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक देश भर में 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में 59 ओएससी कार्यशील हैं; जिनमें से एक ओएससी कल्लाकुरुचि जिले में और दो ओएससी सेलम जिले में कार्यशील हैं, जिन्होंने 1,82,957 से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है

2) महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) आपात्कालीन और गैर-आपातकालीन दोनों परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है और सरकारी योजनाओं व सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। इसकी शुरुआत (1 अप्रैल, 2015 से लेकर 30 जून, 2026 तक) से देश भर में महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। तमिलनाडु राज्य में, डब्ल्यूएचएल ने 30 जून, 2026 तक 2,59,509 से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

3) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) बाल लिंगानुपात और बालिकाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करने में मदद करता है। यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल और सशक्त बनाकर बालिका के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। बीबीबीपी ने सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ और राष्ट्रीय

स्तर पर यह 2014-15 से 2025-26 (अनंतिम) के दौरान 918 से बढ़कर 929 हो गया है। तमिलनाडु राज्य में, जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 से 2025-26 (अनंतिम) के दौरान 917 से बढ़कर 937 हो गया है।

शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 2025-26 में 83.4% हो गया है। तमिलनाडु राज्य में, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 93.82% से बढ़कर 2025-26 में 99.6% हो गया है।

4) नारी अदालत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण का एक मंच प्रदान करती है। इन अदालतों को सुलभ न्याय के लिए आपसी सहमति से बातचीत, मध्यस्थता और सुलह-समझौते के माध्यम से घरेलू हिंसा व अन्य लैंगिक हिंसा से जुड़े छोटे मामलों को सुलझाने और पंचायत स्तर पर संकटग्रस्त महिलाओं की मदद करने का अधिकार दिया गया है।

यह योजना मांग-आधारित है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रायोगिक आधार पर असम और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के 50-50 ग्राम पंचायतों में शुरू की गई थी। बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों में नारी अदालत प्रत्येक राज्य की 10-10 ग्राम पंचायतों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, 4 राज्यों गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 5-5 ग्राम पंचायतों में भी नारी अदालत के संचालन को मंजूरी दी गई है।

'सामर्थ्य' में शक्ति सदन, सखी निवास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र घटक शामिल हैं।

1) **शक्ति सदन:** व्यापक 'मिशन शक्ति' के तहत, पूर्ववर्ती योजनाओं 'स्वाधार गृह' - कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए गृह और 'उज्ज्वला' - मानव दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं के लिए गृह को 01.04.2022 से मिला दिया गया है तथा अब इन्हें 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है। यह मानव दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त स्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल माहौल तैयार करना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। शक्ति सदन संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता में मददगार है, जो मानव दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित अन्य महिलाओं को आश्रय और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराता है।

इस योजना के तहत किराए के परिसरों में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में 46 शक्ति सदन कार्यशील हैं, जिनसे लगभग 2,050 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरुचि जिले में 02 शक्ति सदन कार्यशील हैं।

2) **सखी निवास:** व्यापक मिशन शक्ति के तहत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला आवास) का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं तथा रोज़गार से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। निवासियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान में, तमिलनाडु में 59 सखी निवास कार्यशील हैं, जिनसे लगभग 3,341 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
3) **पालना :** मंत्रालय ने सभी माताओं, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो, के बच्चों (06 माह से 06 वर्ष की आयु) को सुरक्षित माहौल में डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ बच्चों के पोषण संबंधी सहायता, स्वास्थ्य एवं संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी, टीकाकरण और शिक्षा इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए 01 अप्रैल 2022 से 'पालना' योजना की शुरुआत की है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्टैंडअलोन (स्वतंत्र) क्रेच मार्च, 2025 तक कार्यशील थे और पालना योजना के तहत एडब्ल्यूसीसी कार्यशील नहीं हैं।
4) **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीआई):** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01.01.2017 से तमिलनाडु (तेलंगाना को छोड़कर, जो पीएमएमवीवाई पोर्टल पर शामिल होने की प्रक्रिया है) सहित देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में ₹5,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद 'जननी सुरक्षा योजना' के तहत स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को ₹6,000/- मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए भी ₹6,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा बालिका हो।

योजना की शुरुआत (01.01.2017) से लेकर 31.07.2026 तक तमिलनाडु राज्य में इस योजना के माध्यम से लगभग 22.23 लाख महिलाओं को 1,135.63 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए गए हैं। पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान

तमिलनाडु राज्य में पीएमएमवीवाई योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी
1.	2021-22	1,78,547
2.	2022-23	1,35,752
3.	2023-24	2,86,823
4.	2024-25	5,50,556
5.	2025-26	5,03,289*

** एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई की ऑनबोर्डिंग से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन प्रक्रिया की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जारी होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के आंकड़े केवल पीएफएमएस पोर्टल के आंकड़ों पर आधारित एक अनुमान है।*

तमिलनाडु (कल्लाकुरुचि संसदीय क्षेत्र के कल्लाकुरुचि और सेलम जिलों सहित) में पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

5. **संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र :**संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के संबंध में सूचना एवं ज्ञान की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें मिलने वाले लाभों और अधिकारों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

 वर्तमान में, कुल 35 राज्य स्तरीय संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र और 742 जिला स्तरीय संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र कार्यशील हैं, जिनमें कल्लाकुरुचि संसदीय क्षेत्र के कल्लाकुरुचि और सेलम जिलों में एक-एक जिला महिला सशक्तीकरण केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 से अब तक तमिलनाडु राज्य में 2,14,145 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सिंगल नोडल एजेंसी या एसएनए स्पर्श के लिए निर्धारित व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन शक्ति के तहत तमिलनाडु राज्य में जारी की गई निधि/व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना के तहत कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति, महिलाओं और बच्चों को सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से नियमित रूप से योजना की समीक्षा करते हैं। इसके अलावा, डिजिटल निगरानी को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने योजना की तत्समय (रियल टाइम) निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति डैशबोर्ड तैयार किया है। डैशबोर्ड जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रदान किए गए लाभार्थियों, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, अवसंरचना, कार्यकलापों और सुविधाओं की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।
नीति आयोग के माध्यम से 2020 में और फिर 2025 में मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजना सहित मंत्रालय की योजनाओं का दो तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया है। इन अध्ययनों में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और निरंतरता को संतोषजनक पाया गया है।

मंत्रालय ने नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर के कर्मियों के क्षमता निर्माण को मजबूत करने के उपाय भी किए हैं। निमहांस, एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी और सी-डैक के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें मनो-सामाजिक परामर्श, जेंडर संवेदीकरण, नैतिक कॉल प्रबंधन, केस प्रबंधन, डैशबोर्ड संचालन, रेफरल तंत्र और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सी-डैक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय और व्यावहारिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, डैशबोर्ड सहायता, समस्या निवारण और एमआईएस/डेटा विश्लेषण सहायता भी प्रदान करता है।

देश भर में पीएमएमवीवाई योजना के कार्यान्वयन और जागरूकता को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

I. पीएमएमवीवाई के लिए मार्च 2023 में एक नया पोर्टल शुरू किया गया जो पूरी तरह से कागज रहित है। पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार, कागज़ का फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया के लिए पुराने पीएमएमवीवाई-सीएएस पोर्टल पर अपलोड करने होते थे। नई प्रणाली में कागज़ वाले आवेदन पत्रों को समाप्त कर दिया गया है और पूर्णत: ऑनलाइन समाधान प्रदान किया गया है।

II. भुगतान, आधार ब्रिज पेमेंट्स सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि पीएमएमवीवाई पोर्टल पर आवेदकों के पहचान विवरण की पुष्टि के लिए आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फेशियल रिक्गनिशन सिस्टम के माध्यम से) की सुविधा है।

III. तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए पंजीकरण के समय ही आधार सत्यापन, बैंक खाते का डीबीटी-सक्षम होना आदि जैसी सभी अनिवार्य प्रावधानों की जांच की जाती है।

IV. सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए आवेदन की स्वीकृति और भुगतान स्थिति की जांच करने हेतु 'खोजें और स्थिति ट्रैक करें' की सुविधा उपलब्ध है।

V. सभी नागरिकों के लिए पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने हेतु शिकायत दर्ज करने और स्थिति का पता लगाने के लिए मॉड्यूल उपलब्ध है। यह मॉड्यूल शिकायत को सीधे कार्यान्वयन अधिकारियों को भेजता है, जिससे समय की बचत होती है और त्वरित समाधान होता है।

VI. पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए टोल-फ्री एवं बहुभाषी हेल्पलाइन (1515) उपलब्ध है। पारदर्शिता के उद्देश्य से, आवेदकों/लाभार्थियों को आवेदन के पंजीकरण, पंजीकरण की अस्वीकृति, भुगतान आदि जैसे विभिन्न चरणों पर 12 भाषाओं में से एक में एसएमएस प्राप्त होता है।

VII. पीएमएमवीवाई पोर्टल आंगनवाड़ी केंद्र स्तर तक एलजीडी अनुपालन योग्य है। राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक एलजीडी सीडिंग शुरू की गई है।

VIII. ओपन एपीआई में अन्य केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रालयों/विभागों के साथ डेटा साझा करने की स्वतंत्रता है।

IX. विस्तृत निगरानी/विश्लेषण के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/वार्ड/परियोजना/सेक्टर/आंगनवाड़ी स्तर पर एमआईएस डेटा तैयार किया जा सकता है।

X. पीएमएमवीवाई का उपयोग, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा डेटा-केंद्रित संचालन और रिपोर्ट देखने के लिए किया जाएगा।

XI. पोषण ट्रैकर पर गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओ के उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा स्तर पर सुलभ पीएमएमवीवाई पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों की 'सूची' (Due List) बनाने के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो के लिए 'संकल्प - महिला सशक्तीकरण केंद्र' योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ

सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार के विविध कार्यकलाप जैसे कि प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो पर जिंगल प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर प्रचार अभियान तथा सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं, जो फील्ड कार्यकर्ताओं के स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के तहत पंजीकृत करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाता है।

अनुलग्नक-I

'मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल एवं सामर्थ्य घटक' के संबंध में लोकसभा सांसद श्री मलैयारासन डी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा आतारांकित प्रश्न संख्या 3317 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले 5 वर्षों में पीएमएमवीवाई योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26^
1	अरियालुर	2,379	2,094	4,064	8,674	5,447
2	चेंगलपट्टू	-	-	8,062	2,937	10,511
3	चेन्नई	13,461	7,731	11,480	34,478	25,416
4	कोयंबटूर	9,492	7,039	18,373	36,652	24,426
5	कुड्डालोर	7,259	5,933	12,444	25,400	13,130
6	धर्मपुरी	3,646	2,881	7,379	16,152	12,199
7	डिंडीगुल	5,161	2,376	10,119	18,434	13,940
8	इरोड	4,491	3,116	4,508	19,183	11,403
9	**कल्लाकुरिची**	-	-	6,404	2,237	5,124
10	कांचीपुरम	9,508	7,204	5,096	20,863	17,714
11	कन्याकुमारी	3,888	2,232	7,276	11,394	8,856
12	करूर	2,497	1,216	5,064	10,646	6,074
13	कृष्णागिरी	4,741	4,290	8,250	16,328	11,045
14	मदुरै	10,405	6,132	14,647	24,248	22,208
15	मयिलादुथुराई	-	-	4,560	891	3,352
16	नागपट्टिनम	3,569	3,658	2,097	7,693	8,122
17	नमक्कल	4,016	2,863	6,479	16,677	9,465
18	पेरम्बलूर	1,736	1,169	2,802	6,190	3,133
19	पुदुक्कोट्टई	4,317	3,866	8,741	16,563	10,581
20	रामनाथपुरम	3,861	2,087	6,012	11,283	7,478
21	रानीपेट	-	-	3,698	1,784	2,945
22	**सेलेम**	8,621	6,702	15,899	26,064	23,487
23	शिवगंगा	3,496	2,252	7,097	10,034	10,974
24	तेनकासी	-	-	5,848	1,496	5,643
25	तंजावुर	4,083	5,349	6,376	14,539	15,277
26	द नीलगिरी	1,285	999	1,949	4,192	2,124
27	थेनी	3,135	2,902	5,431	5,464	6,536
28	तिरुवल्लूर	6,778	5,316	9,480	18,330	14,809

29	तिरुवरुर	2,731	2,728	6,116	10,421	7,243
30	तिरुचिरापल्ली	7,154	5,036	11,143	22,743	20,583
31	तिरुनेलवेली	6,775	4,775	6,274	19,483	19,611
32	तिरुपथुर	-	-	5,467	1,464	4,292
33	तिरुप्पुर	5,848	5,033	9,178	21,914	13,779
34	तिरुवन्नामलाई	6,415	4,982	11,293	14,353	12,210
35	तूतीकोरिन	3,815	3,090	5,208	9,288	7,773
36	वेल्लोर	10,126	7,994	5,393	24,497	21,483
37	विल्लुपुरम	9,193	8,310	9,039	22,188	17,958
38	विरुधुनगर	4,665	4,397	8,077	15,379	8,291

^ 04.12.2025 तक के आंकड़े। एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई की ऑनबोर्डिंग से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन प्रक्रिया की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जारी होने के कारण, 05.12.2025 से जिला-वार भुगतान आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

अनुलग्नक-II

'मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल एवं सामर्थ्य घटक' के संबंध में लोकसभा सांसद श्री मलैयारासन डी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा आतारांकित प्रश्न संख्या 3317 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मिशन शक्ति के तहत पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य में जारी/व्यय की गई निधि का ब्यौरा:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	ओएससी	5.20	6.97	11.59	10.60	18.32
2	डब्ल्यूएचएल	0.51	0.46	0.49	0.02	0.38
3	बीबीबीपी	2.40	7.60	8.03	0.00	10.91
4	पीएमएमवीवाई	35.02	68.03	NIL	95.62	109.58
5	शक्ति सदन	0.00	0.00	15.17	11.54	13.00
6	सखी निवास	12.04	17.63	4.52	8.14	6.93
7	पालना	0.00	2.83	1.74	5.88	2.14
8	संकल्प: एचईडब्ल्यू	0.00*	3.05	7.47	0.11	6.76

* संकल्प: एचईडब्ल्यू को 01.04.2022 से शुरू किया गया था।
